भारत सरकार/GOVT. OF INDIA
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/SURVEY OF INDIA
निदेशक का कार्यालय/Office of Director
मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केंद्र
Madhya Pradesh Geo-Spatial Data Centre
'सर्वेक्षण सदन'/'Sarvekshan Sadan'
एस.बी.आई. चौक, विजयनगर/SBI Chowk, Vijaynagar
जबलपुर - 482002 (म.प्र.)/Jabalpur – 482002 (M.P.)
फोन/फैक्स Phone/Fax 0761-2643182
ईमेल/E-mail: mp.gdc.soi@gov.in

सत्यमेव जयते

सं. त./ No. T- 711 / 44-M-LSM(MP) दिनांक / Date:- 24 /01/2023

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,

मध्यप्रदेश ।

विषय:- स्वामित्व आबादी का प्रारूप नक्शो के संशोधन हेतु कार्यालय में जमा करने बाबत ।

महोदय,

स्वामित्व आबादी योजना अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारूप नक्शे ग्राउंड टूथिंग कार्य हेतु आपके जिले में प्रदान किए जा रहे हैं । ग्राउंड टूथिंग कार्य के पश्चात पटवारी के द्वारा संशोधन हेतु इस कार्यलय में जमा किए गए नक्शो की जांच करने पर यह पाया जा रहा है कि उक्त ग्राम के नक्शों का ग्राउंड टूथिंग कार्य पूर्व में जारी दिशा निर्देश एवं स्वामित्व आबादी के मापदंडों के अनुसार नहीं किया जा रहा है

इस कार्य हेतु कार्यालय द्वारा नवम्बर माह में 5 दिनों का **प्रशिक्षण** आयोजित किया गया था इसके अतिरिक्त लगातार पत्र द्वारा एवं **प्रशिक्षण** विडियो तथा दिशा निर्देश (Instructions) **भी जारी किये गए है** परंतु कार्य की गुणवत्ता में अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुआ है ।

निदेशक मध्यप्रदेश भू स्थानिक आंकड़ा केंद्र जबलपुर द्वारा ग्राउंड टूथिंग कार्य की गुणवत्ता में सुधार हेतु एक चेक लिस्ट (संलग्न) तैयार की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जिले में ग्राउंड टूथिंग कार्य की जांच संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार तहसीलदार एवं अधीक्षक भू – अभिलेख द्वारा की जाए एवं चेक लिस्ट के अनुसार कार्य की जांच करने के पश्चात हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा के सहित प्रत्येक ग्राम के नक़्शे के साथ अलग-अलग ही कार्यालय में जमा की जाए ताकि कार्य की गुणवत्ता में सुधार कार्य सभी जिलो में एक समान हो सके संलग्न चेक लिस्ट के बिना कार्यालय में किसी भी ग्राम के नक्शे को संशोधन हेतु जमा नहीं किया जाएगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 25-01-2023 के पश्चात आपके जिले से भारतीय सर्वेक्षण विभाग जबलपुर को संशोधन हेतु प्रदान किए जाने वाले प्रारूप नक्शों के साथ संशोधन सूचि के साथ चेक लिस्ट अनिवार्य रूप से तहसीलदार तथा संबंधित ग्राम पटवारी के हस्ताक्षर सहित जमा की जाए उक्त चेक लिस्ट के बिना संशोधन कार्य हेतु प्रारूप नक्शा कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

आपसे अनुरोध है कि ग्राउंड टूथिंग कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सहयोग प्रदान करते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें ।

संलग्न :- चेक लिस्ट

24/1/23

(आर.डी.शाह)
अधिकारी सर्वेक्षक,
तकनीकी अधिकारी
कृते निदेशक

प्रतिलिपि -
1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ ।
2 अपर महासर्वेक्षक, मध्य क्षेत्र जबलपुर को सूचनार्थ
3. आयुक्त भू-अभिलेख, भोपाल,मध्यप्रदेश को सूचनार्थ ।
4. संउक्त सचिव, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

स्वामित्व योजना

ग्राउंड ट्रूथिंग के बाद SOI को भेजने के पहले चेक लिस्ट

निदेशक
मध्यप्रदेश भू-स्थानिक केंद्र ,
जबलपुर

सर्वे ऑफ़ इंडिया से भौतिक सत्यापन हेतु प्राप्त होने वाले नक्शों में किये जाने वाले संशोधनों को अंकित करने के पश्चात, सम्बंधित तहसीलदार द्वारा निम्न चेक लिस्ट का अवलोकन पश्चात हस्ताक्षरित कर, प्रत्येक ग्राम के साथ संलग्न कर पुन: सर्वे ऑफ़ इंडिया को फाइनल नक्शा तैयार करने हेतु प्रेषित करें।

ग्राम LGD कोड............................ ग्राम का नाम.............................. शीट क्रमांक..............................			
तहसील............................. जिला.............................			
क्रमांक	संशोधन का प्रकार	हाँ/नहीं	टीप (कमेंट)
1.	क्या पटवारी को सम्बंधित ग्राम के सभी आबादी खसरों की ड्राफ्ट नक्शों की प्रति प्राप्त हो चुकी है ?		
2.	क्या पटवारी को SOI द्वारा भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जारी किये गए वीडियो (आबादी सर्वे के अंतर्गत भौतिक सत्यापन कैसे करें) एवं मार्गदर्शिका का प्रशिक्षण एवं जानकारी प्राप्त है ? (वीडियो लिंक - https://youtu.be/2WA4doGH-gU)		
3.	क्या पटवारी ने SOI द्वारा भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में जारी किये गए वीडियो (आबादी सर्वे के अंतर्गत भौतिक सत्यापन कैसे करें) एवं मार्गदर्शिका के अनुसार ग्राउंड ट्रुथिंग कार्य किया है एवं आबादी सर्वे के अंतर्गत होने वाली सामान्य त्रुटियाँ को ध्यान में रखा गया है ?		
4.	क्या पटवारी द्वारा ग्राम का नाम, LGD कोड एवं तहसील का नाम चेक किया गया है ?		
5.	क्या पटवारी ने भौतिक सत्यापन के समय आबादी खसरे की बाहरी सीमा का निर्धारण राजस्व रिकॉर्ड एवं चूना मार्किंग के अनुसार किया है ?		
6.	क्या पटवारी द्वारा आबादी खसरे की बाहरी सीमा को ड्राफ्ट नक़्शे पर सत्यापन के पश्चात पेन द्वारा (नीला या काले) चिन्हित किया गया है ?		
7.	**“ड्राफ्ट नक़्शे पर चिन्हित लाल डोरा लाइन सिर्फ आबादी खसरे की आकृति एवं रकबा का अनुमान लगाने हेतु सन्दर्भ के लिए लगायी गयी है और इस सम्बन्ध में नोट भी दर्शाया गया है।”** क्या पटवारी द्वारा लाल डोरा को सही मानकर बिना भौतिक सत्यापन के आबादी खसरे की बाहरी सीमा का निर्धारण तो नहीं कर दिया गया है ?		

8.	**“मार्गदर्शिका के अनुसार आबादी खसरे की बाहरी सीमा का निर्धारण खाली भूमि एवं बसाहट को सम्मिलित करते हुए किया जाना है न कि केवल बसाहट वाले भू-खण्डों को ।”** क्या पटवारी द्वारा आबादी खसरे की बाहरी सीमा खाली भूमि एवं बसाहट को सम्मिलित करते हुए चिन्हित की गयी है ?		
9.	**“मार्गदर्शिका के अनुसार आबादी खसरे में केवल 3 X 3 मी. का एक ही मकान / भू-खंड (सरकारी अथवा निजी) हो तब भी उक्त आबादी खसरे की पूरी बाहरी सीमा को निर्धारित कर चिन्हित किया जाना है ।”** क्या पटवारी द्वारा 3 X 3 मी. का केवल एक ही मकान / भू-खंड (सरकारी अथवा निजी) की स्थिति में भी आबादी खसरे की बाहरी सीमा चिन्हित की गयी है ?		
10.	क्या पटवारी द्वारा ड्राफ्ट नक़्शे पर SOI के द्वारा बनाये गए सभी पार्सल को ग्राउंड पर निरीक्षण कर आवश्यक संशोधन कार्य किया गया है ?		
11.	क्या पार्सल को विभाजित करते समय विभाजन रेखा भौतिक सत्यापन के पश्चात माप कर स्पष्ट रूप से अंकित की गयी है एवं विभाजित प्लाट का अलग अलग नंबर प्रस्तावित किया गया है ?		
12.	क्या पार्सल को मर्ज (Merge) करते समय सभी पार्सलो को सम्मिलित कर एक नंबर दिया गया है एवं मर्ज प्लाट की बाहरी सीमा को ड्राफ्ट नक़्शे पर निर्धारित कर अंकित किया गया है एवं बीच में से हटाई जाने वाली सीमा को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है ?		
13.	क्या पार्सल की आकृति(shape) में बदलाव होने की स्थिति में प्लाट की बाहरी सीमा ड्राफ्ट नक़्शे पर भौतिक सत्यापन के पश्चात माप कर स्पष्ट रूप से अंकित की गयी है ?		
14.	क्या पटवारी द्वारा भौतिक सत्यापन के पश्चात आबादी खसरे की बाहरी सीमा के पुनर्निर्धारण की स्थिति में आबादी खसरे के अन्दर आने वाले सभी भू- खण्डों/प्लाट (जैसे कि मकान, रोड, खाली भूमि, सरकारी भूमि इत्यादी) को नंबर दिए हैं । प्लाट के नंबर P1, P2, P3,…इत्यादि के क्रम में दिए जायेंगे ।		
15.	क्या पटवारी द्वारा ड्राफ्ट नक़्शे पर सभी संशोधन स्पष्ट रूप से चिन्हित किये गये हैं एवं तदनुसार प्रतिवेदन पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये गये हैं ?		
16.	क्या पटवारी द्वारा ड्राफ्ट नक़्शे पर सभी संशोधन पेन (नीला या काले) द्वारा चिन्हित किये गये हैं एवं पेंसिल का प्रयोग नही किया गया है ?		

17.	क्या सभी संशोधन सूची/ प्रतिवेदन सूची एवं शीटों पर तहसीलदार एवं पटवारी के हस्ताक्षर है ?		
18.	क्या पटवारी द्वारा ROR के समय रकबा का मिलान रिकॉर्ड के अनुसार किया गया है ?		
19.	क्या पटवारी द्वारा आबादी खसरे के अंतर्गत सभी पार्सल तक मार्ग का निर्धारण, स्वामित्व आबादी योजनान्तर्गत निर्धारित की गई समिति के अनुसार किया है?		
20.	**"पटवारी द्वारा ड्रोन फ्लाइंग के समय खाली भू-खंड पर चूना लाइन डालने की स्थिति में SOI द्वारा ड्राफ्ट नक्शों पर अलग-अलग प्लाट बनाये जाते हैं जबकि मार्गदर्शिका में उल्लेखित है कि आबादी सर्वे में खाली भू-खंड किसी को भी आवंटित नहीं किए जाना है I"** क्या पटवारी द्वारा ग्राउंड ट्रुथिंग के समय सभी खाली एवं एक साथ लगे हुए भू-खण्डों को विलय (Merge) करके एक ही भू-खंड बनाया गया है एवं विलय (Merge) प्लाट की सीमा निर्धारित कर स्पष्ट रूप से चिन्हित की गयी है ?		
21.	क्या ड्राफ्ट नक़्शे की प्राप्त सभी शीटों को ग्राउंड ट्रुथिंग के पश्चात SOI को अंतिम संशोधन हेतु वापस किया जा रहा है ?		
22.	यदि ड्राफ्ट नक़्शे में ग्राउंड ट्रुथिंग के समय किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं पाया जाता है एवं ड्राफ्ट नक़्शे को ही अंतिम (final) नक़्शे के रूप में स्वीकार किया जाता है, इस स्थिति में क्या SOI को अवगत कराया गया है ?		

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को मेरे द्वारा जांच कर लिया गया है, एवं उसके उपरांत ही नक्शों को सर्वे ऑफ़ इंडिया को आवश्यक संशोधन हेतु प्रेषित किया जा रहा है ।

दिनांक : ....

तहसील : ....

जिला : ....

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

तहसीलदार

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

अधीक्षक, भू- अभिलेख